न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 316/2018 (437/2008)
दायर दिनांक :– 12.09.200

अनवान

1.श्रीमति लाल कंवर पत्नि जयसिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा तह. जहाजपुर– फोत
   1–1. न्याल कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत पत्नि भूपेन्द्र सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम धुंवाला तह. जहाजपुर
   1–2. मनराज कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत पत्नि नन्द भंवर सिंह राजपूत नि. हरपुरा तह. सरवाड
   1–3. निलम कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत पत्नि गोविन्द सिंह राजपूत नि. राजपुरा तह. तालेडा
   1–4. बबली कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम धुंवाला तह. जहाजपुर
2. बबली कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम धुंवाला तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्रीमति उशा कंवर पत्नि शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
2. श्री विरेन्द्र सिंह पिता शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
3. श्री गजेन्द्र सिंह पिता शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
4. सुश्री निशा कंवर पिता शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
5. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक02.08.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम मनोहरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 552/16 कुल किता 01 रकबा 15–00 बीघा कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के खाते में दर्ज हैं वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि जयसिंह पिता लादू सिंह राजपूत नि. सरसडी तह. देवली की स्वअर्जित कृषि भूमि थी जो जयसिंह की मृत्यु के पूर्व जयसिंह जी के खाते में दर्ज थी। जयसिंह की मृत्यु के पश्चात जयसिंह जी की सम्पत्ति में वादीया सं. 2 बबली

सहा. कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

कंवर का 1/6 हक व हिस्सा था किन्तु राजस्व अधिकारियों ने भूल से वादी सं. 2 बबली कंवर का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही किया। वादीया सं. 2 बबली कंवर जयसिंह की सम्पत्ति में 1/6 हक व हिस्से की अधिकारी है एवं दौराने वाद पत्र वादीया सं. 1 लाल कंवर फौत हो चुकी हैं लाल कंवर का अपने पुत्र की सम्पत्ति में 1/6 हक व अधिकार नियत था परन्तु शिवराज के फोत होने के बाद वादीया सं. 1 लाल कवंर का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज नही किया जो गलत हैं व नैसृगिक न्याय के खिलाफ है इसलिये वादी सं. 1 लाल कंवर का अपने पुत्र शिवराज के हिस्से में से 1/6 हक में से वादी सं. 2 बबली कंवर का 1/30 हक व हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व रेकार्ड अधिकारियों ने लाल कंवर का अपने पुत्र की सम्पत्ति में हिस्सा दर्ज करना छोड दिया इसलिये वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन में वादी सं. 2 बबली कवंर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन में वादी में अपना 1/5 हक व हिस्से के लिये खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी हैं एवं लाल कंवर का हिस्सा में से वादीया का 1–1 न्याल कंवर का 1/30, 1–2 मनराज कंवर का 1/30, 1–3 निलम कंवर का 1/30 के लिये खातेदारी काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारणी है। वादी सं. 1 एंव न्यालकवंर, मनराजकंवर, निलमकंवर का उक्त विवादित भूमि में अपना हिस्सा को अपने पुत्र, भाई के पक्ष में हक त्याग करने से शिवराज सिंह का 5/6 हक व हिस्सा हो गया था। शिवराज सिंह की करीब 1 साल पूर्व देहवसान हो गया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीया सं. 1 लाल कंवर का शिवराजसिंह की कृषि जमीन में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है किन्तु राजस्व अधिकारियों को विधि की जानकारी नही होने से शिवराज सिंह की सम्पूर्ण कृषि आराजी प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वादीया सं. 1 लाल कंवर, शिवराज सिंह की माता होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ बराबर की उत्तराधिकारी थी इसलिये शिवराज सिंह के 5/6 हक व हिस्से में से 1/6 हक पर वादीया सं. 1 के वारिसान के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादीगण वादीयागण के हक व हिस्से के कब्जे काश्त में दखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादीया ने विवादित भूमि में अपना नाम दर्ज कराने को कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व दिनांक 25.09.2008 को राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज कराने से मना करने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीया सं. 2 बबली कंवर को 1/5 हिस्से के लिये, वादीया सं. 1–1 न्याल कंवर को 1/30, वादीया सं. 1–2 मनराज कंवर को 1/30, वादीया सं. 1–3 निलम कंवर को 1/30 हिस्से के लिये खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीयागण विरूद्व प्रतिवादीगण सादर पारित कराना फरमावे। व वादीयागण के हक व

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

हिस्से पर काश्त करने में प्रतिवादीगण दखल अंदाजी न करे न अपने नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदारों से करावें कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वदीगण ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रदर्श 2, नकल नामान्तरण सं. 1338 दिनांक 22.05.2018 प्रदर्श 3, लाल कंवर के खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रदर्श 4, नकल इंतकाल सं. 812 दिनांक 06.05.2005 प्रदर्श 5, हक त्याग का नामान्तरण सं. 871 दिनांक 07.06.2007 प्रदर्श 6, नकल नामान्तरण सं. 897 दिनांक 05.12.2007 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 प्रदर्श 9 पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में बबली कंवर पी डब्ल्यु 1, भैरूसिंह पी डब्ल्यु 2, न्याल कंवर पी डब्ल्यु 3 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने बताया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवाद के सदस्य है। जयसिंह के एक पुत्र शिवराजसिंह व चार पुत्रिया न्याल कंवर, मनराज कंवर, निलम कंवर, बबली कंवर तथा पत्नि लाल कंवर थी। शिवराज सिंह व लालकंवर फोत हो चुके है। जयसिंह की मृत्यु के बाद विरासत से खाता खोलते वक्त बबली कंवर का नाम विरासत से लिखना भूल गये थे इसलिये उक्त भूमि में से 1/6 हिस्से पर बबली कंवर के नाम खातेदारी से दर्ज की जावे। एवं शिवराज सिंह फोत होने से शिवराज सिंह के पुत्र पुत्रीयों व पत्नि के नाम विरासत से खाता खोल दिया गया जबकि शिवराज सिंह की विरासत में शिवराज सिंह की मॉ लाल कंवर का नाम लिखना छोड दिया था। लाल कंवर का अपने पुत्र की सम्पत्ति में 1/5 हक व अधिकार नियत था परन्तु शिवराज के फोत होने के बाद वादीया सं. 1 लाल कवंर का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज नही किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीया सं. 1 लाल कंवर का शिवराजसिंह की कृषि जमीन में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। वादीया सं. 1 लाल कंवर, शिवराज सिंह की माता होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ बराबर की उत्तराधिकारी थी इसलिये शिवराज सिंह के 5/6 हक व हिस्से में से 1/5 हक पर अर्थात विवादित आराजी के कुल 1/6 हिस्से पर वादीया सं. 1 का अधिकार था। वादिसा सं. 1 के उक्त 1/6 हिस्से में से मृतक वादिया की पुत्री होने के कारण वादिया सं. 1 से 4 प्रत्येक 1/5 हिस्से की अर्थात विवादित आराजी के कुल 1/30 हिस्से की खातेदार घोषित कराने की अधिकारी है। इस प्रकार वादिया सं. 1–4 बबली कंवर कुल 1/5 हिस्से पर और वादिया सं. 1–1 से 1–3

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रत्येक 1/30 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीयागण विरूद्व प्रतिवादीगण सादर पारित कराना फरमावे एवं वादीयागण के हक व हिस्से पर काश्त करने में प्रतिवादीगण दखल अंदाजी न करे न अपने नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदारों से करावें कि स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नामा. सं. 812 की प्रति प्रदर्श 5 के अनुसार विवादित आराजी नं. 552/16 रकबा 15–00 बीघा पूर्व में वादीगण के पिता जयसिंह पिता लादूसिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर नामा. सं. 812 दिनांक 19.04.2005 (प्रदर्श 5) स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार विवादित आराजी में जयसिंह पिता लादूसिंह के स्थान पर शिवराज सिंह, न्याल कंवर, मनराज कंवर, नीलम कंवर पिता जयसिंह, लालकंवर बेवा जयसिंह का नाम दर्ज किया गया। न्याल कंवर, मनराज कंवर, नीलम कंवर पिता जयसिंह, लालकंवर बेवा जयसिंह द्वारा शिवराज सिंह के पक्ष में आ.न. 552/16 में अपना हिस्सा हक त्याग कर दिया गया था। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत नामा. सं. 871 प्रदर्श 6 से होती है। पत्रावली में प्रस्तुत अन्य आराजियात का नामान्तरण सं. 1338 प्रदर्श 3 अनुसार लालकंवर की मृत्यु के बाद नामान्तरण खुला जिसमें वादी सं. 2 बबली कंवर का नाम विरासत के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रदर्श 2 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। भैरूसिंह पी डब्ल्यु 2 एवं न्याल कंवर पी डब्ल्यु 3 के बयानो से प्रमाणित है कि बबली कंवर जयसिंह की पुत्री थी। इस प्रकार नामान्तरण सं. 812 दिनांक 19.04.2005 प्रदर्श 5 में मृतक जयसिंह पिता लादूसिंह की पुत्री बबली कंवर का नाम विरासत से दर्ज होने से छुट गया है। इसलिये इस आधार पर वादीया सं. 2 बबली कंवर को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। शिवराज सिंह पिता जयसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर नामा. सं. 897 दिनांक 05.12.2007 (प्रदर्श 7) स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार विवादित आराजी में विरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, निशा कंवर पिता शिवराज सिंह, उषा कंवर बेवा शिवराज सिंह का नाम दर्ज किया गया। वादी सं. 1 लाल कंवर का प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण अपने पुत्र शिवराज सिंह की सम्पत्ति में 1/5 हक व अधिकार नियत था परन्तु शिवराज के फोत होने के बाद वादीया सं. 1 लाल कवंर का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज नही किया। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण सं. 897 दिनांक 05.12.2007 प्रदर्श 7 से होती है। इस प्रकार वादी सं. 1 लाल कंवर के पुत्र शिवराज सिंह पिता जयसिंह की मृत्यु हो जाने से विरासत के आधार पर खसरा नं. 552/16 रकबा 15.00 बीघा में वादी सं. 1 लाल कंवर का अपने पुत्र के हिस्से में से 1/5 हिस्से में विवादित आराजी के कुल 1/6 हिस्से में नाम दर्ज किया जाना उचित है। लाल कंवर अपने जीवनकाल में अपने पुत्र शिवराज सिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार शिवराज का अधिकार रखती थी। वर्तमान में लाल कंवर की मृत्यु हो चुकी है। लाल कंवर की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस

सहायक कलेक्टर

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

पुत्री न्याल कंवर, मनराज कंवर, निलम कंवर, बबली कंवर पिता जयसिंह राजपूत लाल कंवर के हिस्से में से बराबर बराबर हिस्से पर हकदार है। वर्तमान में लाल कंवर की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर उनकी पुत्रिया न्याल कंवर, मनराज कंवर, निलम कंवर, बबली कंवर पिता जयसिंह राजपूत को लाल कंवर के 1/6 हिस्से में से 1/5 हिस्से का अर्थात विवादित आराजी के कुल 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार खसरा नं. 552/16 रकबा 15.00 बीघा में शिवराज सिंह के 5/6 हक व हिस्से में से 1/5 हक पर अर्थात विवादित आराजी के कुल 1/6 हिस्से पर वादीया सं. 1 का अधिकार था। वादिया सं. 1 के उक्त 1/6 हिस्से में से मृतक वादिया की पुत्री होने के कारण वादिया सं. 1 से 4 प्रत्येक 1/5 हिस्से की अर्थात विवादित आराजी के कुल 1/30 हिस्से की खातेदार घोषित कराने की अधिकारी है। इस प्रकार वादिया सं. 1–4 बबली कंवर 1/6 + 1/30, कुल 1/5 हिस्से पर और वादिया सं. 1–1 से 1–3 प्रत्येक 1/30 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम मनोहरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 552/16 कुल किता 01 रकबा 15–00 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ साथ विरासत के आधार पर वादीया सं. 2 बबली कंवर को 1/5 हिस्से का, वादीया सं. 1–1. न्याल कंवर को 1/30, वादीया सं. 1–2. मनराज कंवर को 1/30, वादीया सं. 1–3. निलम कंवर को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1.श्रीमति लाल कंवर पत्नि जयसिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा तह. जहाजपुर– फोत
1–1. न्याल कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत पत्नि भूपेन्द्र सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम धुंवाला तह. जहाजपुर
1–2. मनराज कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत पत्नि नन्द भंवर सिंह राजपूत नि. हरपुरा तह. सरवाड
1–3. निलम कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत पत्नि गोविन्द सिंह राजपूत नि. राजपुरा तह. तालेडा
1–4. बबली कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम धुंवाला तह. जहाजपुर
2. बबली कंवर पुत्री जयसिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम धुंवाला तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्रीमति उशा कंवर पत्नि शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
2. श्री विरेन्द्र सिंह पिता शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
3. श्री गजेन्द्र सिंह पिता शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
4. सुश्री निशा कंवर पिता शिवराज सिंह राजपूत नि. हर्षलो का खेडा हाल मुकाम सोहरन तह. नैनवा
5. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत – 88, 89, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 316/2018 (437/2008)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम मनोहरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 552/16 कुल किता 01 रकबा 15–00 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ साथ विरासत के आधार पर वादीया सं. 2 बबली कंवर को 1/5 हिस्से का, वादीया सं. 1–1. न्याल कंवर को 1/30, वादीया सं. 1–2. मनराज कंवर को 1/30, वादीया सं. 1–3. निलम कंवर को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.08.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner